

आज अदालत सहायक कलेक्टर मुख्यालय-टोंक

लोक अदालत केंप कोर्ट-ग्राम पंचायत-देवपुरा

उनवान

- मृतक रामनिवास पुत्र हुकमा जाति भील निवासी चूरिया तहसील व जिला टोंक
1. सोराज पुत्र रामनिवास जाति भील निवासी चूरिया तहसील व जिला टोंक
 2. पप्पू पुत्र रामनिवास जाति भील निवासी चूरिया तहसील व जिला टोंक
 3. पाना पत्नि रामनिवास जाति भील निवासी चूरिया तहसील व जिला टोंक
 4. सीता पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी चूरिया तहसील व जिला टोंक
 5. सीना पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी चूरिया तहसील व जिला टोंक
 6. मूर्ति पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी चूरिया तहसील व जिला टोंक

बनाम

1. रामनाथ पुत्र हुकमा जाति भील निवासी चूरिया तहसील व जिला टोंक
2. तहसीलदार टोंक

मुकदमा नम्बर-32/2014

यह मुकदमा आज वारसे इफिसाल कतई रूबरू डॉ० सूरज सिंह नेगी आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर मुख्यालय टोंक व हाजरी वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रतिवादी मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

प्रतिवादीगण को उनके पिता रामनिवास पुत्र हुकमा भील के नाम से आवंटित वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम चूरिया पटवार हल्का बिठोला भू०अ०नि० वृत् हथोना तहसील व जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ति की जावे।

निजी मुकलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगोराह फ्रीसदी सालाना आज तारिख वसूलियत तक अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तेखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 19 मई, 2017 को जारी की गई।

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)
आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, मुख्यालय-टोंक

मुददई	रूपये	पैसे	मुददई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्वाम्य वकालतनामा स्वाम्य वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत ईजराय हुकमनामा मुतफरिक	00	00	स्वाम्य अर्जी दावा स्वाम्य वकालतनामा स्वाम्य वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत ईजराय हुकमनामा मुतफरिक	00	00

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, मुख्यालय-टोंक